न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 13/2023

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
3. रामदेव सिंह पुत्र झाबरमल, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।

—निगरानीकार—

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल बलौदा, उम्र 33 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
2. ग्राम पंचायत नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज.)।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 22 दिनांकित 25.01.2022 ग्राम पंचायत नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज0)।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट.............................निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट.......गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30/4/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। यह सभी निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 अपने पूर्वज रामदयाल की कब्जे व स्वामित्व की एक आबादी गुवाड़ी ग्राम नान्द में स्थित है। रामदयाल के तीन पुत्र संतान क्रमशः रामेश्वर, किशनाराम व हनुमान पैदा हुए।

रामेश्वर के तीन पुत्र संतान क्रमशः स्व. विधाधर, निगरानी संख्या 1 महेन्द्र एवं निगरानीकार संख्या 2 सुरेन्द्र पैदा हुए। किशनाराम के तीन पुत्र संतान क्रमशः प्यारेलाल, राजपाल व राजेश पैदा हुए। हनुमान के एक पुत्र विकास पैदा हुआ। इस प्रकार ग्राम नान्द में स्थित स्व0 रामदयाल की आबादी गुवाड़ी उक्तानुसार रामदयाल के सभी वारिसान की संयुक्त कब्जे व स्वामित्व की चली आ रही है। किशनाराम के पुत्र प्यारेलाल के दो पुत्र क्रमशः गैरनिगरानीकार संख्या 1 अमित व अनिल है। निगरानीकार संख्या 3 निगरानी में विवादित पट्टे की भूमि के सड़क के पश्चिम में आबादी गुवाड़ी में निवासरत है। स्व0 रामदयाल के वंशजो में प्यारेलाल व उसके पुत्रों अमित व अनिल ने आपराधिक षड़यंत्र कर बेईमानीपूर्वक ग्राम पंचायत नांद के सरपंच व वार्ड पंचों को अपने बेजा प्रभाव में लेकर निगरानी में विवादित पट्टा संख्या 21 व 22 गलत रूप से पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर गलत रूप से जारी करवाये है। जो कि आरम्भ से ही अवैध व शून्य है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने आवेदन में कुल क्षेत्रफल 162.14 वर्गगज हेतु पट्टा आवेदन विवादित भूखण्ड पर पैतृक आधिपत्य होना बताकर प्रस्तुत किया है तथा आवेदन के संलग्न शपथ पत्र में उक्त भूमि में कोई अन्य हिस्सेदार नही होने का झुठा तथ्य प्रस्तुत किया है। प्रकरण में विवादित पट्टा संख्या 22 की पुश्त पर दर्ज चतुर्थसीमा में काट–छांट कर रखी है तथा पट्टा आवेदन तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में दर्ज चतुर्थसीमा आपस में मिलान नही होती है। पट्टाशुदा भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित होने अथवा भूखण्ड भूमि के किस हिस्से में स्थित है के बारे में पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट नही ली गई है। पट्टा आवेदन में गैर निगरानीकार संख्या 1 के सगे भाई व सगे चाचा के हस्ताक्षर बतौर साक्षी करवाये गये है। आवेदन में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही करवाये गये है। पट्टा पत्रावली में आमजन हेतु आपत्ति जारी करने उल्लेख तो है लेकिन जारी करने का कोई प्रमाण नही है। पट्टा संख्या 22 स्व0 रामदयाल की पुश्तैनी गुवाड़ी में निर्मित पुराने दरवाजे को सम्मिलित करते हुए जारी करवाया गया है। पट्टा संख्या 22 में वर्णित भूखण्ड में निगरानीकारान का हिस्सा व कब्जा आज दिनांक बदस्तुर है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने निगरानीकारान के हिस्से तथा गुवाड़ी से बाहर आगे खाली भूमि जो कि सार्वजनिक चौक है में से 73.88 वर्गगज भूमि को भी शामिल करते हुए गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है। पट्टा जारी करते समय विवादित भूखण्ड के सह हिस्सेदारों को किसी प्रकार की सूचना नोटिस जारी किये बिना ही ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर सार्वजनिक चौक की भूमि को शामिल करते हुए उक्त पट्टा जारी करवाया गया है। जबकि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांकित 25.01.2022 बहक गैर निगरानीकार अमित निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 से साज कर निगरानीकारान के सामुहिक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी कर पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लघन किया है। इसके अलावा अधिवक्ता निगरानीकार ने पंचायत समिति अलसीसर द्वारा जारी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 17.03.2023 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें पंचायत समिति द्वारा गठित दल की रिपोर्ट में प्रकरण में विवादित उक्त पट्टे की भूमि को सामुहिक हिस्सेदारी तथा सार्वजनिक चौक की होना मानकर पट्टा निरस्त करने की अनुशंषा की गई है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम से जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.01.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत तरीके से गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार ने अपने आवेदन में वर्णित भूमि को स्वयं ही पैतृक माना है। ग्राम पंचायत नान्द द्वारा आपत्ति मांगे जाने का उल्लेख तो रिकार्ड में है लेकिन आपत्ति ली जाने का कोई प्रमाण पत्रावली में संलग्न नही है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पंचायत समिति अलसीसर द्वारा तैयार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.03.2023 पेश की। जो निम्न प्रकार है–

"आज दिनांक 17.03.2023 को जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत नांद के द्वारा जारी पट्टे की जांच की गई। ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] कुमार पुत्र प्यारेलाल बलौदा, निवासी नांद को बुक संख्या 320 के पट्टा संख्या 22 नियम 157(1) के तहत दिनांक 25.01.2022 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 156 के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

157 के अन्तर्गत पुराने मकानों का नियमितिकरण व कब्जा शुदा भूमि का पट्टा जारी करने का प्रावधान है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उस पट्टे में कब्जा शुदा पुराने मकानों के साथ खाली भूमि भी सम्मलित है। कब्जा शुदा भूमि के साथ खाली भूमि को सम्मलित कर पट्टा जारी किया है। उस खाली भूमि पर पूर्व में पट्टाधारी का कब्जा नही था। जांच के दौरान वहां पर ओर भी खाली भूमि बिना कब्जा शुदा स्थित है। जिस पर उतर–पूर्व कोने पर पुराना पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि किसी समय उक्त भूमि सार्वजनिक चौक थी। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पड़ौसियों की सहमति के बगैर पट्टा जारी कर दिया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.01.2022 निरस्त योग्य है।"

पंचायत समिति अलसीसर की जांच कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा संख्या 22 दिनांकित 25.01.2022 जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन नही करते हुए गलत रूप से गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत नान्द द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 22 दिनांकित 25.1.2022 को को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 22 दिनांकित 25.01.2022 को निरस्त किया जाता है। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत नान्द को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।